

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत जनपदों हेतु कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) के मानदेय मद की तृतीय किस्त निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-म०भो०प्रा० /4827/2017-18 दिनांक 22.12.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत मध्याह्न भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्याह्न भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जनजाति के कार्यरत कुल-3844 कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि ₹०-23.08 लाख (₹० तेइस लाख आठ हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि ₹०-15.36 लाख (पन्द्रह लाख छत्तीस हजार मात्र) अर्थात् कुल ₹०-38.44 लाख (₹० अड़तीस लाख चौवालिस हजार मात्र) की धनराशि तृतीय किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फाट के अनुसार व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) की सेवायें वर्ष में केवल 10 माह के लिये ही ली जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग टी०एस०पी० हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा। योजना का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों / प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिये स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जनजाति के चिन्हित कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्याह्न भोजन निधि में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि एन०जी०ओ०, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जायेगा।




(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक-कम हेल्पर को मानदेय का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा, एवं इस हेतु संबंधित कुक-कम हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्दांश की धनराशि प्राप्त कर लेंगे, तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01- प्रारम्भिक शिक्षा-796-जनजातीय उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101- मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.+रा.)- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव ।

संख्या:-16(1)/ 79-6-18-1112/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन ।
- 2- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 3- श्रमायुक्त, कानपुर ।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद ।
- 7- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ ।
- 8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० ।
- 9- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3।
- 10- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग ।
- 11- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० ।
- 12- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ०प्र० ।
- 13- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, उ०प्र० ।
- 14- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ०प्र० शासन ।
- 15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव ।

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी, 2018

विषय:-वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत जनपदों हेतु कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) के मानदेय मद की तृतीय किस्त निर्गत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-म०भ०प्रा० /4827/2017-18 दिनांक 22.12.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम-कुकिंग लागत आदि योजना में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मध्यान्ह भोजन वितरण व्यवस्था के दृष्टिगत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जनजाति के कार्यरत कुल-3844 कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) के मानदेय हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू०-23.08 लाख (रू० तेइस लाख आठ हजार मात्र) एवं राज्यांश के रूप में धनराशि रू०-15.36 लाख (पन्द्रह लाख छत्तीस हजार मात्र) अर्थात् कुल रू०-38.44 लाख (रू० अड़तीस लाख चौवालिस हजार मात्र) की धनराशि तृतीय किस्त के रूप में संलग्न जनपदवार फाट के अनुसार व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) की सेवायें वर्ष में केवल 10 माह के लिये ही ली जायेगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग टी०एस०पी० हेतु योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार एवं उपलब्ध केन्द्रांश की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा। योजना का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों / प्राविधानों के अन्तर्गत किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपभोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिये स्वीकृति निर्गत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपभोग करने पर विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जनजाति के चिन्हित कुक-कम हेल्पर (रसोईया-सह सहयोगी) को मानदेय दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) संबंधित जनपदों द्वारा उक्त मद में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति को ग्राम पंचायत के कार्यदायी संस्था होने की दशा में मध्यान्ह भोजन निधि में उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि एन०जी०ओ०, वार्ड समिति, महिला समाख्या आदि द्वारा योजना के संचालन की स्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्था के इस प्रयोजन हेतु खोले गये खाते में उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) मध्यान्ह भोजन निधि तथा कार्यदायी संस्था के बैंक खाते से कुक-कम हेल्पर को भ्रान्देय का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा, एवं इस हेतु संबंधित कुक-कम हेल्पर का बचत बैंक खाता खुलवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि आगामी किस्त की धनराशि का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त कर लेंगे, तथा योजना में पूर्व में स्वीकृति की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01- प्रारम्भिक शिक्षा-796-जनजातीय उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101- मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.+रा.)- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के आदेश संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 में निहित प्राविधानों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव ।

संख्या:-16(1)/ 79-6-18-1112/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 3- श्रमायुक्त, कानपुर ।
- 4- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ ।
- 5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 6- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
- 7- वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ ।
- 8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
- 9- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-3 ।
- 10- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अनुश्रवण प्रकोष्ठ शिक्षा विभाग ।
- 11- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।
- 12- समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 ।
- 13- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक, उ0प्र0 ।
- 14- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन ।
- 15- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव ।

Enclosure of G.O.

[Mid-Day-Meal Scheme]
Fund Allocation for Honorarium to Cook-cum-helper
FY 2017-18: Grant-81, PLAN: 3rd Installment

(Rs. Lac)

| Sl. No. | Districts | No. of cook-cum-helper in TSP Category | No. of Months for which fund is to be released | Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 3rd Installment | | |
|---------|-------------------|--|--|---|-------------|-------|
| | | | | Central Share | State Share | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 |
| 1 | 01-Agra | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 02-Aligarh | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 03-Allahabad | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 04-Ambedkar nagar | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 05-Auraiya | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 06-Azamgarh | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 07-Badaun | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 08-Baghat | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 09-Bahraich | 56 | 1 | 0.34 | 0.22 | 0.56 |
| 10 | 10-Ballia | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 11-Balrampur | 24 | 1 | 0.14 | 0.10 | 0.24 |
| 12 | 12-Banda | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 13-Barabanki | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 14-Bareilly | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 15-Basti | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 16-Bhadohi | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 17-Bijnour | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 18-Bulandshahar | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 19-Chandauli | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 20-Chitrakoot | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 21-Amethi | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 22-Deoria | 1441 | 1 | 8.65 | 5.76 | 14.41 |
| 23 | 23-Etah | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 24-Faizabad | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 25-Farrukhabad | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 26-Fatehpur | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 27-Firozabad | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 28-G.B. Nagar | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 29-Ghazipur | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 30-Ghaziyabad | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 31-Gonda | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 32-Gorakhpur | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 33-Hameerpur | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 34-Hardoi | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 35-Hathras | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 36-Itawah | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 37-J.P. Nagar | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

[Signature]
22-12-17

(अमित कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण
उ०प्र० लखनऊ

[Signature]
22/12/17
21/12/17
[Signature]

(अनूप कुमार शुक्ल)
समीक्षा अधिकारी
शिक्षा विभाग-6
उ० प्र० शासन

| Sl. No. | Districts | No. of cook-cum-helper in TSP Category | No. of Months for which fund is to being released | Funds for Honorarium to cook-cum-helper Being Released as 3rd Installment | | |
|---------|--------------------|--|---|---|-------------|-------|
| | | | | Central Share | State Share | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 |
| 38 | 38-Jalaun | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 39-Jaunpur | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 40-Jhansi | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 41-Kannauj | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 42-Kanpur Dehat | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 43-Kanpur Nagar | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 44-Kaas Ganj | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 45-Kaushambi | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 46-Kushinagar | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 47-Lakhimpur Kheri | 192 | 1 | 1.15 | 0.77 | 1.92 |
| 48 | 48-Lalitpur | 88 | 1 | 0.53 | 0.35 | 0.88 |
| 49 | 49-Lucknow | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 50-Mahoba | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | 51-Mahrajganj | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | 52-Mainpuri | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | 53-Mathura | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | 54-Mau | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | 55-Meerut | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | 56-Mirzapur | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | 57-Moradabad | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | 58-Muzaffarnagar | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | 59-Pilibhit | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | 60-Pratapgarh | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | 61-Rai Bareilly | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 62 | 62-Rampur | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63 | 63-Saharanpur | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64 | 64-Santkabir Nagar | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65 | 65-Shahjahanpur | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 66-Shrawasti | 30 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.30 |
| 67 | 67-Siddharthnagar | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68 | 68-Sitapur | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69 | 69-Sonbhadra | 2015 | 1 | 12.09 | 8.04 | 20.13 |
| 70 | 70-Sultanpur | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 | 71-Unnao | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72 | 72-Varanasi | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | 73-Sambhal | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74 | 74-Hapur | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75 | 75-Shamli | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 3664 | 1 | 23.08 | 15.36 | 38.44 |

22.12.17

(जनार्दन प्रसाद)
लेखाकार
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण
उ० प्र०, लखनऊ

(अमित कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण
उ० प्र० लखनऊ

(अनूप कुमार इ.ल.)
12/01/18
उ० प्र० सचिव
उ० प्र० शासन

(अनूप कुमार इ.ल.)
समीक्षा अधिकारी
शिक्षा विभाग
उ० प्र० शासन

(अनूप कुमार इ.ल.)
शिक्षा विभाग
उ० प्र० शासन